



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
14 - अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ - 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD
(U.P. Govt. Undertaking)
14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001
CIN: U40101UP1980SGC005065



संख्या-२९/उनिलि/रिफॉर्म/विनियम:179-179.8/2019

दिनांक: 07/ फरवरी/ 2019

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के निदेशक मण्डल की दिनांक 07 जनवरी 2019 को संपन्न 179वीं बैठक में एजेण्डा संख्या-179.8 पर लिये गये निर्णय के अनुपालन में The U.P. State Electricity Board Assistant Engineers (CIVIL) Service Regulations-1970 (यथा संशोधित), जोकि सम्प्रति उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० में लागू एवं प्रभावी है, के भाग-4 के प्रस्तर-10 के अद्यतन प्रभावी प्राविधानों (आदेश संख्या:89/उनिलि/रिफॉर्म/विनियम/08/सहायक अभियंता (सिविल) दिनांक 01.10.2008 द्वारा संशोधित) को विलोपित करते हुए एतद्वारा निम्नानुसार संशोधित एवं प्रतिस्थापित किया जाता है:-

A candidate for direct recruitment as "Assistant Engineer (Trainee)" besides having a thorough knowledge of Hindi in Devnagari Script and if the candidate has not passed High School or equivalent examination in Hindi, he/she has to clear the exam conducted by the Registrar, Departmental Examinations Govt. of U.P.; within 3 years of joining, must hold the following prescribed degree for the discipline as given below:

Discipline	Prescribed full time degrees in Engineering
Civil Engineering	Civil/Construction

Note:-


- I. The U.P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited at its sole discretion reserves the right to ascertain and decide the number of vacancies to be filled up in each category. For recruitment against each such category, separate requisitions will be sent to U.P. Rajya Vidyut Utpadan Sewa Ayog.
 - II. The above degree must be Full time regular Bachelor's Degree in Engineering/Technology with not less than 65% marks, taking average of all the Years, irrespective of the weightage given to any particular year by the Institute/University, obtained from a University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other Educational Institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act 1956 (OR) passed Sections "A" and "B" examinations of the Institution of Engineers (India) with not less than 65% marks, taking average of all the Years in relevant discipline as mentioned above.
 - III. Degree received through Distance Learning Education mode will not be eligible.
- 2- उपरोक्त संशोधन के फलस्वरूप संगत विनियमावली उक्त सीमा तक संशोधित मानी जायेगी एवं उसके अन्य प्राविधान यथावत् रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांक: 29/उनिलि/रिफॉर्म/विनियम:179-179.8/2019 तददिनांक ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०/वित्त/तकनीकी/परियोजना एवं वाणिज्य), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ, के निजी सचिव/स्टाफ ऑफिसर।
4. मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक, अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, सोनभद्र, सोनभद्र, झाँसी, कानपुर, अलीगढ़।
5. मुख्य अभियन्ता, पीपीएमएम/वाणिज्य/ईंधन/तापीय परिचालन/आर०एण्ड०एम०/जानपद नव-परियोजना/पर्यावरण एवं सुरक्षा/न्यू कोल ब्लॉक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक (लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. कंपनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 07.01.2019 को सम्पन्न 179वीं बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा आइटम संख्या-179.8 के संदर्भ में।
10. उपमहाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता (मा०सं० 1/2/3/4/5)/प्रशिक्षण इकाई/संसदीय कार्य इकाई, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. अधीक्षण अभियन्ता (रिफॉर्म), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति) टी० सी०-46/वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. कट फाइल।



(मा० तसनीम)
मुख्य अभियन्ता (मा०सं०)